विविध बैंक प्रकरण सं. 19/2022(GCMS 2022/32) एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कमपाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025 जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर **बनाम 1. श्री बालाजी सिरेयल मिल्स वास्ते** प्रो. विशेक मित्तल पुत्र श्रवण कुमार निवासी ए–8 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, श्रीगंगानगर **2. दिव्या मित्तल** पत्नी विशेष मित्तल निवासी ए–8, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, आईटीआई कॉलेज के पास, श्रीगंगानगन, अन्य पता दुकान नं. 11, कॉमर्शियल प्लॉट नं.–बी–31, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, श्रीगंगानगर

03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री बनवारी लाल कड़ेला हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.1.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण बालाजी सिरेयल मिल्स – प्रो. विशेक मित्तल एवं दिव्या मित्तल को ऋण सुविधा के रूप में 2.25/–करोड़ रूपये (अखरे रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 01.06.2016 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दिव्या मित्तल की सम्पत्ति ए–8(क्षेत्रफल 634 वर्ग मीटर), इंडस्ट्रीयल एस्टेट, आईटीआई कॉलेज के पास, श्रीगंगानगर एवं दुकान नं. 11, कॉमर्शियल प्लॉट नं. बी–31 में स्थित, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.12.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.01.2018 को 2,36,67,993/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 06.03.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। जिसके परिणामस्वरूप **पोस्ट ऑफिस के नोटिस धारा 13(2) भिजवाने की रसीद की फोटो प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **दिव्या मित्तल की सम्पत्ति** ए–8(क्षेत्रफल 634 वर्ग मीटर), इंडस्ट्रीयल एस्टेट, आईटीआई कॉलेज के पास, श्रीगंगानगर एवं दुकान नं. 11, कॉमर्शियल प्लॉअ नं. बी–31 में स्थित, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि **प्रार्थी बैंक ने पूर्व उक्त अप्रार्थीगण श्री बालाजी सिरेयल मिल्स – प्रो. विशेक मित्तल वगै. के विरूद्ध दिनांक 27.10.2020 को एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय में 84/2020 के रूप में दर्ज हुआ था और जिसमें** वित्तिय आस्ति[illegible] पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनि[illegible] 2002 [illegible] नहीं होने के कारण दिनांक 01.11.2021 को [illegible] किया गया था जिसके अंतिम पैरा में निम्नानुसार अंकित किया गया था:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण है और जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना न होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-sd-
(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2021 की [illegible]ही की गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.11.2021 में उक्त अधिनियम 2002 के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नये सिरे करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु इस न्यायालय उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2021 के पश्चात प्रार्थी बैंक ने दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

27.01.2022 को पुनः प्रकरण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 06.03.2018 के साथ ही इस न्यायालय पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय के पश्चात यदि वे वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, पूर्व निर्णय की प्रति के सहित पेश करना चाहिए। चूंकि प्रार्थी बैंक के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 1.11.2021 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना यह प्रकरण पेश किया है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण में गुणदोष पर विचार नहीं किया जा रहा है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में पूर्व में पारित आदेश को रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस मामले में रिव्यु के रूप में भी विचार नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> 13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त परिपेक्ष्य में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2022 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested